or equivalent in the parent Cadre or Department; or

- (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 7 in the pay matrix or equivalent in the parent Cadre or Department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience:
- (i) Bachelor's degree in Arts or Science or Commerce from a recognised University or equivalent; or
- (ii) three years diploma in Personnel Administration or Human Resource Development from a recognised institution; and
- (iii) three years' experience in administration, establishment and accounts works.
 - II. The Departmental Officer holding the post of Assistant Administrative Officer in level 8 in the pay matrix with two years' regular service in the grade shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.
- **Note 1.-** Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- **Note 2.-** Period of deputation including period of deputation to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or departments of the Central Government shall not exceed three years.
- **Note 3.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

[F.No. 39021/02/2018-Estt.(B)] RAJBIR SINGH, Under Secy.

Foot Note: The Principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. 286, dated the 11th September, 1999 and last amended vide G.S.R. 64, dated 31st March, 2012.

नई दिल्ली. 9 मई. 2019

सा.का. नि. 120.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग, सहायक प्रशासनिक अधिकारी भर्ती नियम, 2010 को संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. संघ लोक सेवा आयोग (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है।), नियम 2 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-
 - **"2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** .— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. उक्त नियमों में, अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

अनुसूची

41 (3 K 4)						
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स	चयन पद	सीधी भर्ती किए	सीधी भर्ती किए जाने
			में स्तर	है अथवा	जाने वाले	वाले व्यक्तियों के लिए
				अचयन	व्यक्तियों के लिए	अपेक्षित शैक्षिक और
				पद	आयु-सीमा	अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक	1 *(2019)	साधारण केंद्रीय	स्तर-8	लागू नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
प्रशासनिक	*कार्यभार के	सेवा, समूह 'ख'	(रु.47600-	होता		
अधिकारी	आधार पर	राजपत्रित,	151100)			
	परिवर्तन किया	अननुसचिवीय अननुसचिवीय				
	जा सकता है	जगगुता प्रवाद				

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगीं या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधी होगी या पदोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा पद्धितियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति/आमेलन

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)

प्रतिनियुक्ति/आमेलन:

केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या
 - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या
 - (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छ: वर्ष की नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो :
 - (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कला या विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक की डिग्री या समकक्ष : या मान्यताप्राप्त संस्थान से कार्मिक प्रशासन या मानव संसाधन विकास में तीन वर्ष का डिप्लोमा; और
 - (ii) प्रशासन, स्थापन और लेखा कार्य में तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
संरचना	
(12)	(13)
लागू नहीं होता	जब अन्य अधिकारियों में से कोई अधिकारी आमेलन के आधार पर किसी पद पर
	नियुक्ति के लिए विचार किए जाने पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना
	आवश्यक है ।

[फा.सं. 39021/02/2018-स्था. (बी)]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा.का. नि. 211, तारीख 22 नवंबर, 2010 को प्रकाशित ।

New Delhi, the 9th May, 2019

- **G.S.R. 120**.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Union Public Service Commission, Assistant Administrative Officer Recruitment Rules, 2010, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Assistant Administrative Officer Recruitment (Amendment) Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Union Public Service Commission, Assistant Administrative Officer Recruitment Rules, 2010 (hereinafter referred to as the said Rules) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-
- "2. Number of post, classification and level in the pay matrix.— The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.".
- 3. In the said Rules, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

		CHILDCEL		
Name of post	Number of posts	Classification	Level in the Pay	Whether selection or
			Matrix	non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant	01* (2019)	General Central	Level 8	Not applicable
Administrative	*Subject to variation	Service, Group 'B'		
Officer	dependent on work	Gazetted, Ministerial	(Rs. 47600-151100)	
	load			

Age-limit for direct recruits	or Educational and other qualifications required for direct recruits	C	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation/ Absorption

In case of recruitment by promotion or	If a Departmental	Circumstances in which Union Public
deputation/ absorption grades from which	Promotion Committee	Service Commission to be consulted
promotion/ deputation/ absorption to be made	exists, what is its	in making recruitment
	composition	_
(11)	(12)	(13)
Deputation/ Absorption:	Not applicable	Consultation with Union Public
Officers under the Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 7 in the pay matrix or equivalent in the parent Cadre or Department; or		Service Commission is necessary when an officer amongst others is in the field of consideration for appointment to the post on absorption basis.
(iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 6 of pay matrix or equivalent in the parent Cadre or Department; and (b) possessing the following educational		

applications.

qualifications and experience: (i) Bachelor's degree in Arts or Science or Commerce from a recognised University or equivalent; or three years diploma in Personnel Administration or Human Resource Development from a recognized institution; and (ii) three years' experience in administration, establishment and accounts works. Note 1: Period of deputation including period of deputation to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or departments of the Central Government shall not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six

> [F.No. 39021/02/2018-Estt.(B)] RAJBIR SINGH, Under Secy.

Foot Note.- The principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. 211, dated the 22nd November, 2010.

नई दिल्ली, 9 मई, 2019

- सा.का. नि. 121.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग, बढ़ई समृह 'ग' पद भर्ती नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-
- ी. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, बढ़ई समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

years as on the closing date of receipt of

- 2. संघ लोक सेवा आयोग, बढ़ई समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2000 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है।),नियम 2 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
 - "2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. उक्त नियमों में, अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

अनसची

पद का	पदों की	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स	चयन पद है	सीधी भर्ती किए जाने वाले	सीधी भर्ती किए
नाम	संख्या		में स्तर	अथवा	व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	जाने वाले व्यक्तियों
				अचयन पद	, ,	के लिए अपेक्षित
						शैक्षिक और अन्य
						अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बढ़ई	01* (2019)	साधारण	स्तर-4	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच	आवश्यक :
	*कार्यभार के	केंद्रीय सेवा,	(रु.25500-	होता	(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-	(I) मान्यता प्राप्त
	आधार पर	् समूह 'ग'	81100)		समय पर जारी किए गए	औद्योगिक प्रशिक्षण
	परिवर्तन	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			अनुदेशों या आदेशों के	संस्थान या कोई
	किया जा	अराजपत्रित,			अनुसार सरकारी सेवकों के	अन्य समकक्ष
	सकता है।	अननुसचिवीय			लिए 40 वर्ष तक शिथिल की	संस्थान से बढ़ईगीरी